न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– श्री अरूण कुमार पुरोहित, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –01/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर –2024/1

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. रामलाल पुत्र रामनारायण 2. रामकुंवार पुत्र रामनारायण जाति–जाट,निवासी–दियावडी तहसील–मूण्डवा,जिला–नागौर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मूण्डवा, राज0

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री श्रवण बिडीयासर।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां ।

:: निर्णय :: दिनांक :–06.05.2024

1– अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार,मूण्डवा द्वारा प्रकरण संख्या 22/2023 सरकार बनाम रामलाल वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 25.07.2023 से असंतुष्ट होकर दिनांक 01.01.2024 को प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ मयाद प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अपीलान्ट की अपील ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

2– वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना–पत्र पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने मियाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि निर्णय जेर अपील की जानकारी पूर्व में अपीलांटस को नही रही हैं, क्योकि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 25.07.2023 को अपीलांटस के अधिवक्ता से यह कहा गया था कि आपके मुव्वकिलान के खिलाफ कार्यवाही ड्रॉप कर दी जावेगी इसलिए इस आशय की सूचना अपीलांटस को उनके अधिवक्ता द्वारा उसी वक्त कर दी गई थी। किन्तु अपीलांटस को अचानक ही हाल ही में पटवारी हल्का द्वारा अपीलांटस के विरूद्ध दिनांक 25.07.2023 को ही बेदखली व जुर्माने के आदेश कर दिये गये थे, की जानकारी दी गई और अपीलांटस की विधिपूर्ण खातेदारी भूमि में निर्मित बाड़ को ध्वस्त करने की एलानियां धमकियां दी गई, तब अपीलांटस ने मातहत न्यायालय से नकल के लिए आवेदन प्रस्तुत किया व दिनांक 26.12.2023 को नकल प्राप्त कर नागौर आये व अपना अधिवक्ता मुकर्रर कर उनसे कानूनी सलाह लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की हैं, इसलिए इस अपील को जानकारी से अंदर मियाद शुमार किया जाना उचित एवं न्याय संगत हैं। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन करते हुए अपील अपीलांट जानकारी से अंदर मियाद शुमार किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

3– विद्वान राजपेरोकार का दौराने बहस यह कथन हैं कि दिनांक 25.07.2023 को गैर सायल के अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा हैं,इस हेतु अधीनस्थ न्यायालय की तारीख पेशी दिनांक 25.07.2023 की आदेशिका का अवलोकन किया जावें। इस प्रकार अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्ण जानकारी होते हुवे भी गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना–पत्र अपील पेश करने में हुवे विलम्ब को माफ करने का पेश किया गया हैं,जो खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावें।

4– वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया । हालाँकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 25.07.2023 के अवलोकन से तो यह प्रकट हैं कि अपीलांट को निर्णय की जानकारी उसी दिन हो चुकी थी,क्योंकि इस आदेशिका में उनके अभिभाषक के हस्ताक्षर है,परन्तु ग्रामीण कास्तकार को कानून की बारिकीयों की जानकारी नहीं रहती हैं,इसलिए

कलक्टर नागौर

न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अन्दर मयाद पेश की हुई मानी जाती हैं।

5– प्रस्तुत मूल अपील पर वकुलाय की बहस सुनी गई।

1– विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का सेनणी ने तहसीलदार, मूण्डवा के समक्ष अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलांटस को दिनांक 19.05.2023 को धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का नोटिस तहसीलदार मूण्डवा द्वारा जारी किया गया, जिस पर अपीलांटस को दिनांक 31.05.2023 को मातहत न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया गया। दिनांक 31.05.2023 को अपीलांट मातहत न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए व कथित खसरा नम्बर 50 गैर मुमकिन मगरा वाके मौजा दियावडी की 1.50 हैक्टेयर भूमि पर किसी तरह का अतिक्रमण अपीलांटस का नही होना बताया व जवाब मय दस्तावेज व साक्ष्य सबूत के पेश करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन किया गया एवं मातहत न्यायालय द्वारा मौखिक में प्रार्थी/ अपीलांट के निवेदन को स्वीकार कर लिया गया व प्रार्थी/ अपीलांट के हस्ताक्षर आदेशिका पर करवा लिये। अपीलांट भी मातहत न्यायालय से संतुष्ट होकर अपने घर आ गया व अपना अधिवक्ता नियुक्त किया, तत्पश्चात प्रकरण में वस्तुस्थिति जानने हेतु आईएलआर, रूण को लिखा जाकर पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.06.2023 पर पेश होने की आदेशिका जारी की गई। तत्पश्चात आईएलआर,रूण ने मौके की वस्तुस्थिति व जांच रिपोर्ट दिनांक 12.07.2023 को तैयार करके अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्ववर्ती तिथि दिनांक 10.07.2023 को प्रस्तुत होना कागजी खानापूर्ति के लिए आदेशिका में दर्ज कर दिया, जो वास्तव में मौके पर जाकर तैयार नहीं की गई, कार्यालय में बैठकर तैयार की गई हैं, मौके पर अपीलांट का कोई कब्जा अतिक्रमण नही हैं, अपीलांट की उपस्थिति के संबंध में अथवा किसी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर भी इस कथित मौका रिपोर्ट पर नहीं है। इसलिए इस प्रकार की रिपोर्ट का कोई औचित्य नहीं हैं।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क हैं कि दिनांक 25.07.2023 को अपीलांट के अधिवक्ता को यह कहा गया कि आपके मुव्वकिलान के खिलाफ कार्यवाही ड्रॉप कर दी जावेगी। जबकि अपीलांटस को अचानक पटवारी हल्का द्वारा यह बताया गया कि आपके विरूद्ध दिनांक 25.07.2023 को ही बेदखली व जुर्माने के आदेश हो गये थे। इस प्रकार उपरोक्त कार्यवाही से यह भली–भांती प्रकट हैं कि अपीलांट को इस प्रकरण में किसी प्रकार की सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया हैं। यह सम्पूर्ण कार्यवाही किसी राजनैतिक दबाब में की गई हैं,जबकि अपीलांट का किसी रास्ते की जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं हैं। अपीलांट की स्वयं की खातेदारी की भूमि पर बाड़ व पत्थर की दीवार बनायी हुई थी,जिसे बिना किसी अधिकार के हटाये जाने का तहसीलदार जी को अधिकार नहीं था।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क हैं कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम बार दिनांक 31.05.2023 को पेश हुआ तथा अपना जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा, जिस पर वस्तुस्थिति तथा मौके की जांच के लिए संबंधित पटवार हल्का को निर्देशित किया गया, लेकिन आदेशिका दिनांक 31.05.2023 में मौके से कब्जा हटाने हेतु समय चाहने का अंकन मनमाने प्रकार से दर्ज कर दिया, अपीलांट के पिता रामनारायण के हस्ताक्षर खाली आदेशिका पर करवा लिये व अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपने राजनैतिक आकाओ के इशारे पर व अपीलांट से द्वेषता रखने वाले राजनैतिक व्यक्तियों के प्रभाव में आकर आदेशिका बाद में मनमर्जी से अपीलांटस के विरूद्ध मौके से कब्जा हटाने हेतु समय चाहने जैसी लिख डाली। इसके बाद भी अपीलांट द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थिति अधीनस्थ न्यायालय में दी गई, तो आईएलआर को मौका स्थिति बाबत आदेशिका दिनांक 14.06.2023 में लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 28.06.2023 को पेश होने का अंकन आदेशिका में कर दिया और दिनांक 28.06.2023 को पत्रावली में आईएलआर की रिपोर्ट अप्राप्त होने का अंकन करके साथ ही गलत व झूठे तौर पर अधिवक्ता द्वारा जवाब हेतु समय चाहने का अंकन कर दिया, जबकि अधिवक्ता अपीलांटस द्वारा जवाब पेश किया गया, जिसे पत्रावली पर लेने से इन्कार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने अपीलांटस के विरूद्ध

कलक्टर नागौर

कार्यवाही ही मौका रिपोर्ट लेकर समाप्त करने की बात मौखिक रूप से कह दी गई। इसके पश्चात आईएलआर,रूण ने मौके की वस्तुस्थिति व जांच रिपोर्ट दिनांक 12.07.2023 को तैयार करके अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्ववर्ती तिथि दिनांक 10.07.2023 को प्रस्तुत होना कागजी खानापूर्ति के लिए आदेशिका में दर्ज कर दिया, जब मौका रिपोर्ट ही दिनांक 12.07.2023 को तैयार की जाना स्वयं मौका रिपोर्ट में आईएलआर द्वारा अंकित है तो आदेशिका दिनांक 10.07.2023 में मौका रिपोर्ट शामिल पत्रावली करने का अंकन स्पष्टतः अनियमितता, दबावपूर्ण कार्यवाही व अपीलांटस के साथ अन्याय को दर्शाता है। वास्तव में ऐसी कोई मौका रिपोर्ट मौके पर जाकर तैयार नही की गई बल्कि कार्यालय में बैठकर तैयार की गई हैं, मौके पर अपीलांट का कोई कब्जा अतिक्रमण नही था व न हैं, अपीलांट की उपस्थिति के संबंध में अथवा किसी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर भी इस कथित मौका रिपोर्ट पर नही है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनाई गई सम्पूर्ण प्रक्रिया विधितः प्रारम्भ से ही दूषित व पूर्वाग्रह से ग्रसित रही हैं तथा किसी भी तरह अपीलांटस के विरूद्ध निर्णय बेदखली व जुर्माने का गलत, अनुचित व अवैध प्रकार से पारित करना इसका एकमात्र उद्देश्य रहा है। इन विधिक व तथ्यात्मक भारी अनियमितताओं के कारण भी निर्णय जेर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 47 जो कथित गै0मु0 मगरा भूमि के पास ही चिपती आई हुई हैं, के संबंध में नापचौप मुन्तकिल पाइंट से करवाकर किसी तरह की कोई निश्चायक स्थिति प्राप्त करने का भी प्रयास नहीं किया, जबकि अपीलांट ने साफ तौर पर अधीनस्थ न्यायालय को यह अवगत करवा दिया था कि उसका अपनी खातेदारी भूमि के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की सरकारी अथवा प्रतिबंधित भूमि पर कब्जा अतिक्रमण आदि किसी भी प्रकार का नही हैं, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि वे अपीलांटस की भूमि व विवादित मगरा की भूमि का नाप चौप मुन्तकिल पाइंट से विशेषज्ञ राजस्वकर्मियो व सेटलमेन्ट अधिकारियो की मौजूदगी में करवाते, मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर किसी तरह का गौर किये बगैर ही सरसरी तौर पर जल्दबाजी में पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपीलांटस से राजनैतिक द्वेषता व रंजिश रखने वाले बड़े लोगो के इशारे पर यह कार्यवाही हाजा अमल में लाकर कागजी रूप से बिना किसी प्रक्रिया का पालन किये निर्णय जेर अपील पारित कर दिया, जो अपास्त होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस को दिये गये नोटिस में यह अंकन किया गया हैं कि खसरा नम्बर 50 गैर मुमकिन मगरा पर अतिक्रमण किया गया हैं, लेकिन पटवारी हल्का द्वारा नजरी नक्शा बनाते समय पटवारी रिपोर्ट के पिछले पृष्ठ पर उक्त बाबत एक नक्शा भी बनाया गया था, उस नक्शे में कही भी खसरा नम्बर 50 गैर मुमकिन मगरा का उल्लेख नहीं हैं, नाप का उल्लेख नहीं किया गया है एवं न ही किस दिशा में कितने नाप पर, किस आसे पासे पडोसो के बीच अतिक्रमण किया हैं, इस बाबत मौका रिपोर्ट में किसी प्रकार का अंकन नही किया गया हैं, इसके अलावा अपीलांटस को बाड़ बनाकर अतिक्रमण करना अधीनस्थ न्यायालय ने कार्यवाही हाजा में अंकित किया हैं, किन्तु पटवारी हल्का द्वारा बाड़ की लम्बाई–चौडाई का उल्लेख नहीं हैं, न ही मगरा की भूमि में बाड़ की लम्बाई चौडाई का उल्लेख हैं, वास्तव में बाड़ तो अपीलांटस की खातेदारी भूमि में सैकड़ो वर्षो पुरानी बनी हैं, जिसे राजकीय मगरा का भाग गलत, मनमाने व आधारहीन तथ्यों के आधार पर बताकर ध्वस्त करने का कुप्रयास अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, पटवारी हल्का सेनणी, आईएलआर रूण आदि द्वारा किया जा रहा है। मातहत न्यायालय ने इन तथ्यो, परिस्थितियो, मौका स्थिति व विधिक स्थिति को नजरअंदाज कर एकतरफा मनमाना निर्णय जेर अपील पारित करने में भयंकर त्रुटि कारित की हैं, जिससे निर्णय जेर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शे के संबंध में पटवारी हल्का के बयान लेने व उसके उपरांत विधि सम्मत रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के अनुरूप अपीलांटस प्रभावित व हितबद्ध पक्षकार को प्रति परीक्षण का अवसर दिये बिना ही आदेश जेर अपील पारित किया गया है, इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलांटस के विरूद्ध की गई कार्यवाही सरसरी तौर पर गलत की गई है।

कलक्टर नागौर

अतः निवेदन है कि अपीलांटस की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मूण्डवा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में प्रकरण संख्या 22/2023 बअनवान् सरकार बनाम रामलाल वगैराह में आदेश दिनांक 25.07.2023 पारित किया गया, को खारिज किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

2– रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता का दौराने बहस कथन था कि तहसीलदार,मूण्डवा द्वारा प्रकरण विधिवत न्यायालय में दायर किया गया हैं। अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुवे इस प्रकरण में कार्यवाही की हैं। अपीलांट के पिता द्वारा स्वयं ने न्यायालय में दिनांक 31.05.2023 को उपस्थित होकर यह तथ्य प्रकट किया कि मौके से कब्जा हटाये जाने हेतु समय दिया जावें। अपीलांट के पिता के इस निवेदन से यह स्वतः ही प्रकट हैं कि अपीलांट का खसरा नम्बर 50 गै0मु0मगरा राजकीय भूमि पर अपना अतिक्रमण माना हैं। जब अपीलांट स्वयं का यह स्वीकृत तथ्य हैं कि उसका इस भूमि पर अतिक्रमण हैं, तो अन्य प्रकार के साक्ष्य लेने की कहाँ आवश्यकता हैं। रिपोर्ट भू0अभिलेख निरीक्षक की इसलिए मांगी गई थी कि अपीलांट द्वारा अतिक्रमण हटाना स्वीकार किये जाने के बाद उसने मौके से अतिक्रमण हटाया हैं या फिर नहीं हटाया हैं। भू0अभिलेख निरीक्षक ने भी इसी संदर्भ में अपनी रिपोर्ट पेश की हैं। इस प्रकार अपीलांट अतिक्रमी होने से उसके विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही/निर्णय दिनांक 25.07.2023 विधिसम्मत् होने से अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

6– बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का,सैनणी द्वारा दिनांक 16.05.2023 को रिपोर्ट इस आशय की तैयार की हैं कि रामलाल,रामकुवार पिता रामनारायण,जाति–जाट, निवासी दियावड़ी द्वारा ग्राम दियावड़ी के खसरा नम्बर 50रकबा 1.50 हैं0 गै0मु0 मगरा पर सम्वत् 2080 में बाड़ बनाकर खेत बनाकर अनाधिकृत कब्जा कर रखा हैं। इस रिपोर्ट की जॉच दिनांक 16.05.2023 को ही भू0अभिलेख निरीक्षक द्वारा की जाकर तहसीलदार,मूण्डवा को पेश किये जाने पर तहसीलदार, मूण्डवा द्वारा गैर सायल के विरूद्व प्रकरण संख्या 22/2023 दिनांक 19.05.2023 को दर्ज कर गैर सायल को सुनवाई हेतु उपस्थित होने हेतु न्यायालय में तारीख पेशी दिनांक 31.05.2023 नियत की गई हैं। दिनांक 31.05.2023 को गैर सायल के पिता रामनारायण अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा हैं तथा आदेशिका दिनांक 31.05.2023 के अनुसार गैर सायल के पिता ने उपस्थित होकर मौके से कब्जा हटाने हेतु समय चाहा गया,जो दिया जाकर प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.06.2023 को नियत की गई तथा इस आदेशिका में गैर सायल के पिता रामनारायण के हस्ताक्षर भी हैं। इस प्रकार गैर सायल की स्वीकारोक्ति के अनुसार यह पूर्णतया साबित था कि ग्राम दियावड़ी की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 50 रकबा 1.20 हैं. किस्म गै0मु0 मगरा की भूमि पर गैर सायलान का नाजायज कब्जा व अतिक्रमण था। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे खसरा नम्बर 50 उनकी खातेदारी की भूमि रही हो या फिर उनका अतिक्रमण खसरा नम्बर 50 की भूमि पर नहीं रहा हो? अब इस प्रकरण में विद्वान वकील अपीलांट का यह एतराज हैं कि यथा अपीलांट के हस्ताक्षर खाली आदेशिका में करवाये गये/अपीलांट को यह कहकर हस्ताक्षर करवाये गये कि प्रकरण उनके विरूद्व ड्रोप कर दिया जायेगा। यह तथ्य मानने योग्य नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय की इस आदेशिका को नहीं मानने का कोई आधार पत्रावली पर मौजूद नहीं हैं एवं न ही इस प्रकार का कोई एतराज अपीलांट द्वारा कही फाईल किया हो ऐसा दस्तावेज पेश किया हैं। इसलिए इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका ही मान्य हैं।

प्रस्तुत प्रकरण की अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के निर्णय दिनांक 25.07.2023 का अवलोकन किया गया। निर्णय के पेरा नम्बर 03 में यह अंकित किया हैं कि " फलतः पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजात यथा प्रकरण में भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत वर्तमान मौकास्थिति जांच रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि प्रश्नगत खसरे पर अप्रार्थी का आजदिनांक अवैध कब्जा मौजूद हैं। अतः अप्रार्थीगण को मौजा दियावड़ी में स्थित खसरा सं. 50 किस्म गै.मु. मगरा पर अनाधिकृत तरीके से अतिक्रमण किये जाने के कारण एल.आर.एक्ट. 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी

कलक्टर नागौर

घोषित किया जाता हैं। अप्रार्थी का उक्त कृत्य अतिचार की श्रेणी में आता हैं। फलस्वरूप अप्रार्थी पर वार्षिक लगान 8.83 रूपये का 50 गुना कुल 442/– रूपये बतौर शास्ति आरोपित की जाती हैं।"

निर्णिय के उक्त पैरा के अवलोकन करने से प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार कोई विधिकत्रुटि होना नहीं पाया जाता हैं। प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान वकील अपीलांट का यह एतराज रहा हैं कि भू0अभिलेख निरीक्षक की जॉच रिपोर्ट दिनांक 12.07.2023 की बनायी गयी हैं,जबकि इसे आदेशिका दिनांक 10.07.2023 में अंकित किया गया हैं। इस सम्बन्ध में निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट हैं कि निर्णय दिनांक 25.07.2023 को पारित किया गया हैं एवं इसमें इस भू0अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट का अंकन किया गया हैं, अगर प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 10.07.2023 को पारित कर दिया जाता तो यही माना जाता कि रिपोर्ट बाद की हैं। निर्णय दिनांक 25.07.2023 को पारित किया गया हैं,इसलिए इस रिपोर्ट पर संदेह नहीं किया जा सकता हैं। वैसे प्रकरण में तारीख पेशी भी दिनांक 12.07.2023 नियत हैं,मानवीय भूल से आदेशिका में तारीख अंकित करते समय दिनांक 12.07.2023 के स्थान पर दिनांक 10.07.2023 अंकित हो सकती हैं। इस प्रकरण में यह भी तथ्य प्रकट हैं कि निर्णय की आदेशिका दिनांक 25.07.2023 में गैर सायल के अभिभाषक श्री रामकिशोर बंग उपस्थित होने के हस्ताक्षर भी हैं। इसलिए यह सम्पूर्ण कार्यवाही विश्वास पूर्ण ही मानी जायेगी । वकील अपीलांट का भू0अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट पर लगाया एतराज महत्वहीन हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में गैर सायल के पिता रामनारायण ने उपस्थित होकर अतिक्रमण हटाये जाने हेतु समय चाहा था तथा भू0अभिलेख निरीक्षक,रूण की रिपोर्ट दिनांक 12.07.2023 के अनुसार ग्राम दियावड़ी के खसरा नम्बर 50 रकबा 1.50 है0 भूमि पर अतिक्रमण में गैर सायलान रामलाल,रामकुंवार पिता रामनारायण की स्थिति ज्यों की त्यों हैं अंकित किया हैं। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 25.07.2023 विधिवत् होने से इस निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

7– प्रस्तुत प्रकरण में वकील अपीलांट द्वारा दौराने बहस फहरिस्त मय मौका रिपोर्ट दिनांक 21.02.2024 पेश की हैं। यह प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.07.2023 के बाद की होने से इस अपील की पत्रावली में इस मौका रिपोर्ट को पढ़ा जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। इसलिए पेश किया गया यह दस्तावेज पत्रावली के पार्ट डी में बिना पढ़े ही समझा जाकर रखा रहेगा।

8– अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.07.2023 यथावत् रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,मूण्डवा को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। निर्णय सुनाया गया।

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर,
नागौर

निर्णय आज दिनांक 06.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। कलक्टर नागौर

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर,
नागौर
कलक्टर नागौर